



प्रेस नोट

जनपद बागपत

दिनांक 12.09.2023

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया धर्मेन्द्र किरठल व उसके गैंग के सदस्य सतेन्द्र मुखिया व सुभाष उर्फ छोटू को ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने के परिणामस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष के कारावास व 50,000/-50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

कार्यवाही –

अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चिन्हित कुख्यात अन्तर्राज्यीय आपराधिक माफिया धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत व उसके गैंग सदस्य सतेन्द्र मुखिया पुत्र रामदास निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत व सुभाष उर्फ छोटू पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सिसोली थाना भोराकलां जनपद मुजफ्फनगर के विरुद्ध थाना रमाला पर वर्ष-2021 में मु0अ0सं0 150/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया थाए जिसमें ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत बागपत पुलिस और अभियोजन पक्ष द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 12.09.2023 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र किरठल, सतेन्द्र मुखिया व सुभाष उर्फ छोटू उपरोक्त को दोषी करार देते हुए धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में प्रत्येक अभियुक्त को 05-05 वर्ष के कारावास व 50,000/-50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । अभियुक्त धर्मेन्द्र किरठल के विरुद्ध जनपद बागपत, मेरठ, मुजफ्फनगर व शामली सहित कई प्रदेशों में संगीन धाराओं में 53 अभियोग जिसमें गैंगस्टर, हत्या, हत्या के प्रयास एवं आर्म्स एक्ट आदि के अभियोग पंजीकृत हैं तथा सत्येन्द्र मुखिया पर हत्या, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एवं आर्म्स एक्ट आदि के संगीन धाराओं में 23 अभियोग पंजीकृत हैं । शेष अभियोगों में भी मॉनिटरिंग सेल द्वारा प्रभारी पैरवी कर मा0 न्यायालय से

दण्डित कराया जाएगा । बागपत पुलिस शेष माफियाओं के विरुद्ध भी कार्यवाही हेतु कटिबद्ध है ।

पूर्व के गैंगस्टर के मुकदमें में धर्मेन्द्र किरठल की 60 लाख की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है तथा सतेन्द्र मुखिया की उक्त गैंगस्ट के मुकदमें में 11 लाख की सम्पत्ति कुर्क की जा चुकी है।

आरोपी धर्मेन्द्र किरठल का आपराधिक इतिहास-



क्र०स०	मु०अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	27 / 92	392 भादवि.थाना रमाला	रमाला	बागपत
2	31 / 92	392 भादवि थाना रमाला	रमाला	बागपत
3	147 / 92	392 भादवि थाना रमाला	रमाला	बागपत
4	499 / 93	395,397 भादवि थाना रमाला	रमाला	बागपत
5	70 / 94	2 / 3 गैंग०अधि० थाना रमाला	रमाला	बागपत
6	35 / 95	307 भादवि थाना रमाला	रमाला	बागपत
7	279 / 95	395 भादवि थाना शामली मु०नगर	शामली	मु०नगर
8	20 / 97	25 आर्म्स एक्ट	रमाला	बागपत
9	573 / 2000	573 / 2000 धारा 307 भादवि	नई मण्डी	मु०नगर

		थाना नई मण्डी मु0नगर		
10	9 / 2000	216 भादवि थाना रमाला	रमाला	बागपत
11	84 / 2000	3 गुण्डा अधि0 थाना रमाला	रमाला	बागपत
12	77 / 2000	3 / 4 गुण्डा अधि0 थाना रमाला	रमाला	बागपत
13	129 / 2000	25 शस्त्र अधि0 थाना रमाला	रमाला	बागपत
14	28 / 01	307 भादवि थाना भवन शामली	थानाभवन	शामली
15	39 / 01	25 शस्त्र अधि0 थाना भवन शामली	थानाभवन	शामली
16	57 / 2002	2 / 3 गैंगस्टर एक्ट	मेडिकल	मेरठ
17	722 / 04	302,307 भादवि थाना रोहतक हरियाणा	रोहतक	हरियाणा
18	124 / 04	110 जी सी0आर0पी0सी थाना रमाला	रमाला	बागपत
19	98 / 04	25 शस्त्र अधि0 थाना रमाला	रमाला	बागपत
20	84 / 04	302 भादवि थाना रमाला	रमाला	बागपत
21	1148 / 05	207 एम0बी0एक्ट0 थाना सि0 लाईन मु0नगर	सि0 लाईन	मु0नगर
22	136 / 05	धारा 34 यू0पी गुंडा एक्ट0 थाना रमाला	रमाला	बागपत
23	596 / 05	302,307,34 भादवि थाना शामली	शामली	मु0नगर
24	576 / 05	302,307 भादवि थाना शामली	शामली	मु0नगर
25	381 / 05	307 भादवि थाना सरधना मेरठ	सरधना	मेरठ
26	384 / 05	324,323,506 भादवि थाना सरधना मेरठ	सरधना	मेरठ
27	1185 / 05	307 भादवि थाना सि0 लाईन मु0नगर	सि0 लाईन	मु0नगर
28	59 / 06	399,402,420,467,468,471,120बी	धौलपुर	राजस्थान

		भादवि व 3/25 शस्त्र अधि0 थाना धौलपुर राजस्थान		
29	172/06	399,402भादवि व 3/25शस्त्र अधि0 थाना धौलपुर राजस्थान	धौलपुर	राजस्थान
30	216/06	147,148,149,302,120बी भादवि थाना को0बागपत	बागपत	बागपत
31	21/06	307,325 भादवि थाना रमाला	रमाला	बागपत
32	571/07	2/3 गैग0अधि0	मैडिकल	मेरठ
33	552/07	302,149 भादवि	मैडिकल	मेरठ
34	54/07	224,511,120बी,34 भादवि थाना मैडिकल मेरठ	मैडिकल	मेरठ
35	249/07	147,148,149,452,302,120बी भादवि थाना रमाला	रमाला	बागपत
36	350/07	302,120बी भादवि थाना मैडिकल मेरठ	मैडिकल	मेरठ
37	77/08	42/45 का0अधि0	मैडिकल	मेरठ
38	242/08	147,323,332,353,308,120बी भादवि थाना मैडिकल मेरठ	मैडिकल	मेरठ
39	73/08	147,148,336,307,भादवि व 445 का0अधि0 थाना मैडिकल मेरठ	मैडिकल	मेरठ
40	76/08	147,148,149,307,421भादवि थाना मैडिकल मेरठ	मैडिकल	मेरठ
41	181/09	207 एम0बी0एक्ट थाना भोपा मु0नगर	भोपा	मु0नगर
42	223/10	2/3 गैग0अधि0 थाना मैडिकल मेरठ	मैडिकल	मेरठ
43	241/11	3/4 गुण्डा अधि0 थाना रमाला	रमाला	बागपत
44	314/11	2/3 गैग0अधि0 थाना रमाला	रमाला	बागपत
45	401/11	307 भादवि थाना बुढाना	बुढाना	मु0नगर

		मु0नगर		
46	40 / 11	307 भादवि थाना बुढाना मु0नगर	बुढाना	मु0नगर
47	201 / 11	147,148,149,307 भादवि व 7 क0ला0अधि0	रमाला	बागपत
48	177 / 12	302,307,120बी भादवि थाना नजबगढ दिल्ली	नजफगढ	दिल्ली
49	290 / 15	3 यु0पी0गुण्डा एक्ट थाना रमाला	रमाला	बागपत
50	378 / 15	342,147,148,323 भादवि	रमाला	बागपत
51	88 / 17	364ए,34,506,भादवि	छपरौली	बागपत
52	214 / 20	302,307,34 भादवि	रमाला	बागपत
53	124 / 21	3 / 25 / 27 आर्म0 एक्ट	रमाला	बागपत

आरोपी सत्येन्द्र मुखिया का आपराधिक इतिहास-



क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	1146 / 05	307 भादवि	खेकडा	बागपत
2	381 / 05	307.120 बी भादवि	सरघना	मेरठ

			मेरठ	
3	384 / 05	324.325.504.506भादवि	रमाला	बागपत
4	1145 / 05	307भादवि	सि०लाइन् I मु०नगर	मु०नगर
5	147 / 06	302 भादवि	बागपत	बागपत
6	249 / 07	147.148.149.302.452 भादवि	खेकडा	बागपत
7	215 / 08	3 यूपी गु०ए०	खेकडा	बागपत
8	115 / 09	147.148.149.3074 भादवि	खेकडा	बागपत
9	360 / 09	2 / 3 गैग.०ए०	खेकडा	बागपत
10	419 / 10	307 भादवि	रमाला	बागपत
11	421 / 10	25 / 27 आ०ए०	रमाला	बागपत
12	420 / 10	25 / 27 आ०ए०	रमाला	बागपत
13	768 / 10	147.148.307 भादवि	खेकडा	बागपत
14	223 / 10	2 / 3 गैग.०ए०	खेकडा	बागपत
15	378 / 10	3 यूपी गु०ए०	रमाला	बागपत
16	201 / 11	147 / 148 / 149 / 307 भादवि व 7 कि०लो०एमें०	रमाला	बागपत
17	203 / 11	25 ए०एक्ट	रमाला	बागपत
18	244 / 11	420,467,468 भादवि	रमाला	बागपत
19	209 / 13	3 यूपी गु०ए०	दोघट	बागपत
20	112 / 15	110 जी सीआरपीसी	खेकडा	बागपत
21	214 / 20	302 भादवि	रमाला	बागपत

22	<u>158 / 21</u>	25 / 3 आर्म्स एक्ट	ज्वालापुर	हरिद्वार
23	<u>150 / 21</u>	<u>2 / 3 गैंगस्टर एक्ट</u>	रमाला	बागपत

दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

1-धर्मेन्द्र पुत्र रामपाल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत। (एचएस नं0-720ए)

(05 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड)

2-सतेन्द्र मुखिया पुत्र रामदास निवासी ग्राम सुन्हैडा थाना खेकड़ा जनपद बागपत। (एचएस नं0 154ए)

(05 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड)

3-सुभाष उर्फ छोटू पुत्र रामस्वरूप निवासी ग्राम सिसोली थाना भोराकलां जनपद मुजफ्फनगर।

(05 वर्ष का कारावास व 50,000/- रुपये अर्थदण्ड)



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 490/- रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 490/- रुपये नगद बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-असलम पुत्र रशीद निवासी कैतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-शकील पुत्र शौकत निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-इरशाद पुत्र हामिद निवासी कैतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते ।
- 490/- रूपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-है0का0 435 आलोक कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-का0 421 अंकुल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-का0 293 अनुज कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 12.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 606/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मो0 सा0 हीरो स्प्लैन्डर नं0 UP-17-K-4054 बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 24.08.2023 को थाना बडौत पर वादी हरवीर सिंह पुत्र किरणपाल सिंह निवासी ग्राम लुहारी थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मो0सा0 हीरो स्प्लैन्डर नं0 UP-17-K-4054 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 606/23 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 606/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से चोरी की हुई 01 मोटर साइकिल हीरो स्प्लैन्डर नं0 UP-17-K-4054 बरामद हुई है ।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शुभम पुत्र मुकेश निवासी ग्राम कोताना थाना बड़ौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई एक मो०सा० हीरो स्प्लैन्डर नं० UP-17-K-4054

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० विकुल कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 2-का० 984 दीपक शर्मा थाना बड़ौत जनपद बागपत ।
- 3-का० 800 घनेन्द्र कुमार थाना बड़ौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक:- 12.09.2023

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

फरमान उर्फ बिल्ली पुत्र जाकिर निवासी मौहल्ला विजय नगर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विकुल कुमार थाना बडौत ।
- 2-का0 545 मनीष कुमार थाना बडौत ।
- 3-का0 1058 शरद यादव थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 12.09.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से निर्मित/अर्धनिर्मित करीब 1.5 क्विंटल अवैध पटाखे, पटाखों की बत्ती करीब 8 कि०ग्रा०, बारूद पाउडर करीब 18 कि०ग्रा०, ऊन व सुतली के कुल 76 बंडल एवं पटाखे बनाने की अन्य सामग्री व उपकरण बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अवैध विस्फोटक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है,



जिसके कब्जे से निर्मित/अर्धनिर्मित करीब 1.5 क्विंटल अवैध पटाखे, पटाखों की बत्ती करीब 8 कि०ग्रा०, बारूद पाउडर करीब 18 कि०ग्रा०, ऊन व सुतली के कुल 76 बंडल एवं पटाखे बनाने की अन्य सामग्री व उपकरण बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुजम्मिल पुत्र शकील निवासी तिरोसिया पट्टी कस्बा व थाना दोघट जनपद बागपत
।

बरामदगी का विवरण-

- निर्मित/अर्धनिर्मित करीब 1.5 क्विंटल अवैध पटाखे ।
- पटाखों की बत्ती करीब 8 कि०ग्रा०
- बारूद पाउडर करीब 18 कि०ग्रा०
- ऊन व सुतली के कुल 76 बंडल एवं पटाखे बनाने की अन्य सामग्री व उपकरण ।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री हरवीर सिंह थाना दोघट ।
- 2-है०का० 36 हरविन्द्र थाना दोघट ।
- 3-का० 99 राकेश कुमार थाना दोघट ।



प्रेस नोट जपनद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 12.09.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 693/23 धारा
147/148/452/354/354बी/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया
गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 693/23 धारा 147/148/452/354/354बी/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त वसीम को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा दिनांक 06-09-2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम पुत्र रियाज निवासी कसबा टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 श्री अमित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2.है0का0 410 राजन थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना खेकडा

दिनांक 12.09.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 314/23 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मोटरसाईकिल व एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10/08/2023 को थाना खेकडा पर वादी विवेक कौशिक पुत्र श्रीराम रतन निवासी पट्टी औरंगाबाद करबा व थाना खेकडा ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि दिनांक 09-08-23 को वादी ने अपनी मोटरसाईकिल Honda SHINE नं0- UP-17N-8236 को घर के गेट के सामने Lock लगाकर खडी की थी जिसको



किसी अज्ञात चोर ने चोरी कर लिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं 314/2023 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 314/2023 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से चोरी की हुई एक मोटरसाईकिल होन्डा साइन नं0 UP 17 N 8236 व एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 411 भादवि की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोहित पुत्र राजेन्द्र निवासी बाल्मिकी चोक करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस ।
- चोरी की हुई एक मोटरसाईकिल होन्डा साइन नं0 UP 17 N 8236

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 230/2022 धारा 4/25 ए एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 538/21 धारा 380/411 आईपीसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 543/2021 धारा 3/25 ए एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 314/2023 धारा 380/411 आईपीसी थाना खेकडा जनपद बागपत ।

5-मु0अ0सं0 377/23 धारा 3/25 ए एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 मुकेश कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।

2- है0का0 53रविन्द्र सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत ।

3- है0का0 432 अनिल कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।